इस मंत्रालय के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 11 दिसंबर, 1995 को सीसा ड्रास/अवशेष/स्क्रैप वाले 3,500 मीटरी टन सीसे के आयात के लिए अनुमति दी गई थी। निर्यातकर्ता देश: दक्षिण कोरिया।

7. आयातकर्ता: मैसर्स इंडियन लेड लिमिटेड, बम्बई।

इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार उनकी ठाणे यूनिट में उपयोग के लिए ड्रास/अवशेष/स्क्रैप के आयात पर बातचीत करने के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 1995 को अनुमति दी गई थी। अब तक किसी पारेषण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

*सभी आयातों की अनुमति परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षाएं पूरा करने पर दी जाती है।

मथुरा में रासायनिक कारखानों से होने वाला प्रदूषण

3702. **श्री जगदम्बी मंडल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के तहसील छाता के अंतर्गत गांव बठैन कलां और बठैन खुर्द से मात्र एक कि०मी० की दूरी पर स्थित कुछ रासायनिक फैक्टरियों में से निकलने वाली जहरीली गैस तथा पानी से आस-पास के गांवों में रहने वाले सभी मनुष्यों का जीना मुश्किल हो गया है तथा वहां लोगों के मन में मौत का खौफनाक आतंक बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार स्थानीय लोगों में व्याप्त भय को देखते हुए तुरन्त इन फैक्टरियों को बंद करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, नहीं उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के छाता तहसील के अन्तर्गत गांव बठैन कलां और बठैन खुर्द से एक कि०मी० की दूरी पर स्थित औद्योगिक इकाई मुख्य उत्पाद के रूप में ईथाइल एल्कोहल और उप-उत्पाद के रूप में एल्डीहाइड, ऐसटिक ऐसिड और ईथाइल ऐसीटेट का उत्पादन करती है जिसके लिए वह कच्ची सामग्री के रूप में शीरे का इस्तेमाल करती है। निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जहरीली गैस न तो इस्तेमाल में लाई जाती है और न ही उत्पादित होती है। इस समय डिस्टिलेरी कार्य नहीं कर रही है और केवल रासायनिक इकाई कार्यरत् है। तथापि, इस इकाई से उत्सर्जित हो रहे बहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उद्योग ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते हुए बताया है कि पूर्ण बहिस्राव शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बाघों द्वारा लोगों और पशुओं को मारा जाना

3703. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के आदमखोर बाघों ने हाल ही में गढ़वाल और कुमाऊं में फिर से अनेक लोगों और पशुओं की जानें ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो मारे गए लोगों तथा पशुओं की संख्या कितनी है और क्या मृतकों के आश्रितों को मुआवज़ा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो सैफुद्दीन सोज़): (क) सरकार को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में बिडाल जाति के जानवरों (बिग कैट्स) द्वारा लोगों के मारे जाने की जानकारी है, लेकिन वहां लोग 'तेंदुए' द्वारा मारे गए न कि "बाघ' द्वारा जिसे इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा 'बाघ' समझा गया।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी से मार्च, 1997 तक तीन मास की अवधि के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में पांच व्यक्ति और कुमाऊं क्षेत्र में एक बच्चे के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है। इसके अलावा, 23 पशुओं के मारे जाने की रिपोर्ट है। मारे गए लोगों के निकटतम संबंधियों तथा पशुस्वामियों को मुआवजा देने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(घ) इस वन्यजीव को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत मानव जीवन के लिए खतरनाक घोषित किया गया है और इसे मारने के आदेश दिए गए हैं।

Ban on Import of Waste Materials

3704. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have short-listed the items of import of waste from other countries which are harmful and banned in other countries;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that some wastes are being dumped in the country; and

(d) if so, the details of such material imported during the last one year and now proposed to be banned totally?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) The Technical Working Group appointed under Basel Convention for transboundary movement of Hazardous Wastes in which India is participating has finalised a list of wastes to be banned under Basel Convention. This list is to be discussed in the meeting of the Conference of Parties to be held in October 1997. In case the list of adopted, the import of listed hazardous wastes will cease by 31st December, 1997. However, as an abundant caution, the Ministry of Environment & Forests has banned cyanide, mercury and arsenic bearing wastes on 26th December 1996. A final notification prohibiting import of wastes containing or contaminated with beryllium, selenium, chromium (hexavalent), thallium and pesticides, herbicides, insecticides and their intermediates/residues thereof including outdated pesticides has been published on 15th April, 1997.

(c) and (d) No Sir, the dumping of hazardous wastes is not allowed under Rule-11 of the Hazardous Wastes (Management & Handling) Rules, 1989 brought out by the Ministry of Environment and Forests under the Environment (Protection) Act, 1986. However, import of such wastes is allowed for reprocessing or reuse as raw material after examining each case on merit. Further, in compliance with the orders passed by the Hon'ble High Court of Delhi on 10.4.96, no import of hazardous wastes is now being permitted. In Writ Petition No. 657/95, Research Foundation for Science, Technology and Ecology versus Union of India, the Hon'ble Supreme Court on 5.5.97 have passed a judgement on the issue, the details of which are awaited.

Felling of Trees in Chanakyapuri Area

3705. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the felling of thousands of trees within a few days recently in Chanakyapuri area in New Delhi in blatant violation of the environmental laws;

(b) if so, whether any permission for the felling of thousands of trees was granted by Government;

(c) if not, whether Government have made any inquiry into the devastation of the green area; and

(d) if so, the outcome thereof and the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (d) The information is being collected from the Government of NCT Delhi and will be laid on the Table of the House.